



MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 19.07.2026



1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *377* वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-*61* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. “मिशन शक्ति”- मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरूक।

4. पैदल गश्त - श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा धारा 34 पुलिस एक्ट मे *96* व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

5. जन संवाद- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संध्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी

6. थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण -

थाना भिटौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता निशा देवी पत्नी अनूप कुमार निवासी कोहड़ा बुजुर्ग थाना गोला जनपद गोरखपुर उम्र करीब 29 वर्ष 2. प्रिया देवी पत्नी डोला कुमार उर्फ कन्हैया निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 34 वर्ष (जिसमे अभियुक्ता निशा गिरफ्तार)। उक्त गैंग लीडर व गैंग सदस्य अपने तथा अपने परिवार को आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु टेम्पू में बैठकर यात्रियों के गले से चैन/मंगलसूत्र व लाकेट चोरी करना जैसे जघन्य अपराध कारित करना के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गु0प्र0मं0 141/2026 धारा 2(ब)(1)/2(1)सू0पी0 जैगेण्डा एक्टर के तहत कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता सरिता पत्नी सूर्यलाल निवासी ग्राम जंगल गुलरिहा

मुसहर टोला थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के पास से 20 पाउच म कुल 10 लीटर कच्चा शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 103/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त वीर बहादुर उर्फ गुड्डू पुत्र जयराम निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के पास से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त लक्ष्मण पुत्र रामहरख निवासी ग्राम जंगल गुलरिहा मुसहर टोला थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के पास से कुल 5 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता पुष्पा पुत्री छोटेलाल निवासी ग्राम जंगल गुलरिहा मुसहर टोला थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के पास से 07 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रमाकान्त पुत्र रामनरेश निवासी चकदह टोला मरचहवा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 143/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त सोनू शर्मा पुत्र सुनील शर्मा निवासी बेलभरिया थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज हालपता पिपरदेउरा नेहरूनगर थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 00/2026 धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

***7.* विवेचना निस्तारण-** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *12* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

***8.* जनपद में 18/19-07-2026 को विभिन्न अपराधों में कुल- 67 (शान्ति भंग) एवं आबकारी व अन्य मामलों सहित संबंधित समस्त अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।**